

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018 (फाल्गुन 16, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे –

- (क) मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018),
- (ख) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018); तथा
- (ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 49 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा

(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ख) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; तथा

(ग) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा 18 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

4. नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, प्रदेश में गेहूं की खरीदी शीघ्र प्रारंभ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, उज्जैन-जावरा बी.ओ.टी. सड़क मार्ग के किनारे नाली का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत विलासपुर के अपर टोला में नवीन तालाब का निर्माण किये जाने,

(2) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम ककरई से मगरदा के बीच सड़क का निर्माण किये जाने,

(3) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, सतना जिले के मझगवां को चित्रकूट का प्रवेश द्वार घोषित किये जाने,

(4) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम मोथेगांव से भडेसुर तक सड़क स्वीकृत किये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के आलमपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,

(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम शहदपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण कराये जाने,

(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम श्री जी की गाँवड़ी में आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये जाने,

(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम गागोरनी का खेड़ा को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

(9) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में शासकीय रानी अवंतीबाई कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(10) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले की गुना नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत कबीर बाड़ी पिपरोदा खुर्द में सामुदायिक भवन बनाये जाने,

(11) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम रानीपुरा से बरखेड़ा खुमान तक सड़क निर्माण किये जाने,

(12) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम खानपुरा स्थित स्थानीय नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

भोपाल :
दिनांक : 6 मार्च, 2018

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.